(156)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : <u>मनोज गोयल,</u>

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1507–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–12–2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला देवास, प्रकरण कमांक 4/अ–70/2012–13.

....

1–अकबर पिता मोतीखॉ
2–कमाल पिता अकबर खॉ
3–साबीर पिता अकबर खॉ
4–शाकीर पिता अकबर खॉ
निवासीगण ग्राम पंथमुण्डला
तहसील व जिला देवास

.... आवेदकगण

<u>विरूद्ध</u>

याकुब पिता अब्बास
निवासी ग्राम पंथमुण्डला
तहसील व जिला देवास

..........अनावेदक

श्री अनीश कुरैशी, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री उपेन्द्र कानूनगो, अभिभाषक– अनावेदक

<u>:: आ दे श ::</u>

(आज दिनांक: 31/8/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–12–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत तहसीलदार तहसील व जिला देवास के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–70/12–13 दर्ज कर

कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 11–12–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना थे, परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रकरण के निराकरण में आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों पर विचार किया जा रहा है । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष यह आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि सीमांकन में उन्हें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है और ना ही समीपवर्ती कृषकों को कोई सूचना दी गई हैं और सीमांकन के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रचलित है अतः निगरानी के निराकरण तक कार्यवाही स्थगित की जाये । आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(2) इस न्यायालय द्वारा सीमांकन की कार्यवाही में स्थगन दिया गया है इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा कार्यवाही जारी रखने में त्रुटि की गई है ।

(3) सीमांकन एवं संहिता की धारा 250 की कार्यवाही एक दूसरे के पूरक है, अतः इस न्यायालय से सीमांकन के विरूद्ध लंबित निगरानी के निराकरण तक संहिता की धारा 250 के आवेदन पत्र का निराकरण करना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित रखी जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) उभयपक्ष के मध्य दिनांक 17–6–15 को समझौता हुआ था और समझौता होने के उपरांत भी आवेदकगण समझौते पर कायम नहीं रहे और उनके द्वारा द्वेषतापूर्वक इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को साक्ष्य के अनेक अवसर दिये गये है, परन्तु उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिये आवेदकगण की ओर से से सीमांकन आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 11–12–14 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है जो कि मात्र तहसील न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही को स्थगित रखने के उद्देश्य से की गई है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा इस निष्कर्ष के साथ आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि सीमांकन प्रकरण के विरूद्ध निगरानी राजस्व मण्डल में विचाराधीन है और तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलित है, जो कि पृथक–पृथक कार्यवाही है । वैसे भी यदि सम्पूर्ण भूमि पर दूसरे का कब्जा पाया जाता है है, तब उसे सीमांकन के अतिरिक्त भी अन्य साक्ष्यों से भी पीड़ित पक्षकार अपना प्रकरण प्रमाणित कर सकता है । दर्शित परिस्थितियों में तहसील न्यायालय का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील व जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–12–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर